

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/राज. ई-ऑफिस/2018/1554

दिनांक:- 04/6/18

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, राजस्थान।
4. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।

विषय:-राज ई-ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इन्द्राज किये गये डाटा का सत्यापन करने हेतु मेकर-चेकर बनाने के संबंध में सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2018 को रिव्यू मिटिंग आयोजित की गई, जिसमें राज ई-ऑफिस पोर्टल में इन्द्राज किये गये डाटा सत्यापन के संबंध में विचार विमर्श किया गया, समीक्षा करने पर पाया गया है कि आपके अधीन जिलो में कार्मिको के डाटा सत्यापन (मेकर चेकर) का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसे माननीया अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया ने गंभीरता से लिया है।

अतः आपके अधीन जिलो में राज ई-ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों का डाटा सत्यापन के कार्य हेतु मेकर-चेकर के राइटस दिलवाने के संबंध में कर्मचारियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों में) ऐक्सल फोरमेट में तीन दिवस के भीतर विभागीय ई-मेल आई.डी. dmhsng103@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें ताकि डाटा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ किया जा सकें। विलम्ब के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-18/एम/राज. ई-ऑफिस/2018/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), एवं नोडल अधिकारी, राज ई-ऑफिस, आईटी सेल, मुख्यालय।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की ई-मेल आई.डी. पर अपलोड करने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

As per Higher officers direction admin rights will provide through maker / checker for medical & health deptt.

For this may kind provide following three employees / officer request in prescribed format :-

- 1 Maker - IA/COMPUTER OPERATOR/ LDC/UDC of concerned office employee .
- 2 Verifier - Establishment In charge ADO/AADO/OS/OA/UDC/LDC etc
- 3 Approve - Officer in charge JD Director/CMHO/BCMHO/ PMO/MOIC etc

Format

For Maker/Verifier / Approver Format -

Sr. No.	Raj e-office rights / Role assing	Maker/Verifier/Approver Name	Designation	SSO ID	Mobile No.	Employee ID	District /Block Name
1	1. Maker						
	2. Verifier						
	3. Approver						
2							
3							